न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–37 सन् 2016

विमल कुमार सिंह ....वादी

बनाम
शिवेन्द्र प्रताप सिंह................................प्रतिवादी।

दिनांक–13.05.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक– 27.08.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने उपरोक्त वाद में दिनांक –24.12.2019 को मूल प्रति बैनामा दिनांक–26.10.1972 सुरेश सिंह बनाम बिमल कुमार सिंह वो सच्ची प्रतिलिपि हाल सर्वे खतियान वो राजस्व रसीद वर्ष 1982–83 वो सच्ची प्रतिलिपि बैनामा दिनांक–29.12.2015 तपेश्वर सिंह वगैरह बनाम् शिवेन्द्र प्रताप सिंह दाखिल किया है। वादी द्वारा दाखिल मुल प्रति बैनामा दिनांक–26.10.1972 सुरेश सिंह बनाम् विमल कुमार सिंह (वादी) तीस वर्ष पुराना है। वादी द्वारा दाखिल प्रतिलिपि हाल सर्वे खतियान वो सच्ची प्रतिलिपि बैनामा दिनांक–29.12.2015 तपेश्वर सिंह बनाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह जो लोक दस्तावेज है। वादी द्वारा दाखिल राजस्व रसीद वर्ष 1982–83 तीस वर्ष पुराना है। वादी द्वारा दाखिल वर्ष पुराना वो लोक दस्तावेज है जिसे प्रदर्श होने में कोई कानूनन बाधा नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी द्वारा दाखिल मूल प्रति बैनामा दिनांक–26.10.1972 सुरेश सिंह बनाम् विलम कुमार सिंह वो राजस्व रसीद वर्ष 1982–83 वो सच्ची प्रतिलिपि हाल सर्वे खतियान वो सच्ची प्रतिलिपि बैनामा दिनांक–29.12.2015 तपेश्वर बनाम् शिवेन्द्र प्रताप सिंह को प्रदर्श अकिंत करने का आदेश दिया जाय ताकि हकरसी होवे।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 12. 11.2024 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी दाखिल दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल दस्तावेज जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है उसे प्रदर्श अंकित करना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन

हेतु न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल दस्तावेज मूल प्रति बैनामा दिनांक–26.10.1972 सुरेश सिंह बनाम् विलम कुमार सिंह वो खतियानी की सच्ची प्रतिलिपि वो बैनामा सच्ची प्रतिलिपि दिनांक–29.12.2015 तपेश्वर सिंह वगैरह बनाम् शिवेन्द्र प्रताप सिंह जो लोक दस्तावेज है उसे प्रदर्श अंकित करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है। वाद दिनांक........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।